



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 21 जनवरी, 2026 ई०

(माघ 1, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-2041/दस-लाइसेंस-59/देशी शराब/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 21 जनवरी, 2026 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-5

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, अधिसूचना संख्या-27091/दस-लाइसेंस-59/2002-2003, दिनांक 14 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश, आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

(उन्नीसवों संशोधन) नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (उन्नीसवों संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 04 मार्च, 2025 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. नियम-2 का संशोधन- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2-परिभाषाएं (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:-	2-परिभाषाएं (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:-
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल फीस" का तात्पर्य देशी शराब के आष्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी और जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल फीस की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी;	(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल फीस" का तात्पर्य देशी शराब/यू.पी.एम.एल. के आगणित फुटकर मूल्य को 5 रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो देशी शराब/यू.पी.एम.एल. की थोक लाइसेंस से आपूर्ति से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित रीति में लाइसेंसधारी द्वारा संदेय होगी किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल फीस की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी;
(ग) "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रूप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ग) "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रूप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(घ) "बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय।

परन्तु यह कि यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी,

(ङ) "प्रतिफल फीस" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की संद्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति करने से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी;

(च) "देशी शराब" में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली 25 प्रतिशत (सुवासित), 36 प्रतिशत (मसाला) शराब और 42.8 प्रतिशत (मसाला) वाली उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0) भी सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;

(छ) "दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(घ) "बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय।

परन्तु यह कि यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी,

(ङ) "प्रतिफल फीस" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की संद्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति करने से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी;

(च) "देशी शराब" का तात्पर्य ऐसी देशी स्प्रिट से है, जो शीरा आधारित एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल अथवा अनाज आधारित एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से निर्मित हो और जिसकी अल्कोहलिक तीव्रता एवं गुणवत्ता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाये;

(छ) "दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य दुकान की नियत वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/365 वाँ भाग से है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ज) "दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वाँ भाग होगी,

(झ) निकाल दिया गया।

(ज) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ट) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;

(ठ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ड) "अधिक्रम" का तात्पर्य ई-लाटरी में लाइसेंसधारी के चयन के लिये कम्प्यूटर आधारित यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से दुकान आवंटन के आधार हेतु तात्पर्यरित दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस के अवरोही क्रम से है;

(ढ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(ण) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(त) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी;

(ज) "दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य दुकान की नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 1/365 वाँ भाग से है,

(झ) निकाल दिया गया ।

(ज) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ट) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;

(ठ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ड) "अधिक्रम" का तात्पर्य ई-लाटरी में लाइसेंसधारी के चयन के लिये कम्प्यूटर आधारित यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से दुकान आवंटन के आधार हेतु तात्पर्यरित दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस के अवरोही क्रम से है;

(ढ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(ण) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(त) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी जिसकी दर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;
- (थ) "लाइसेंस फीस की मासिक किस्त" बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;
- (द) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा"- वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;
- (ध) "पोर्टल"का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा विनिर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;
- (न) "प्रतिभूति धनराशि"का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के 1/10वाँ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;
- (थ) "लाइसेंस फीस की मासिक किस्त" का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त देय निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस से है जो प्रत्येक माह देय होगी। लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के सापेक्ष किया जायेगा;
- (द) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" अथवा "मासिक एम.जी.क्यू." का तात्पर्य वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 1/12 भाग से है;
- (ध) "एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर)"का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आबकारी वर्ष हेतु यथा नियत न्यूनतम राजस्व से है जिसको सी.एल.-5सीसी लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसधारी द्वारा मासिक/त्रैमासिक आधार पर, जैसा कि विहित किया जाय, राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा और जिसका समायोजन लाइसेंसधारी द्वारा अपनी दुकान पर बीयर की फुटकर बिक्री हेतु थोक लाइसेंस से बीयर (वाइन एवं एल.ए.बी. को छोड़कर) की ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के सापेक्ष अनुमन्य होगा;
- (न) "पोर्टल" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण एवं इसके वितरण की समाप्य अवस्था तक की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

- (प) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।

- (फ) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;

- (ब) "उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0)" का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट (मसाला) से है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (प) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस को छोड़कर लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिवरीकृत ई-बैंक गारंटी के रूप में अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित किसी अन्य लिखत के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम व्यवस्थापन के पश्चात वापस किये जाने योग्य होगी;

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

- (फ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य आवेदक के पक्ष में दुकानों का आवंटन (ई-नवीकरण, ई-लाटरी या ई-निविदा के माध्यम से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय) करने और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने पर संपूर्ण आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाने से है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।

- (ब) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(भ) "उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू.पी.एम.एल.)" का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता एवं गुणवत्ता वाली देशी स्प्रिट से है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3. नियम-3 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (क) इस नियमावली के उपबन्धों और बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, देशी शराब की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा अथवा ऑफर आमंत्रित कर व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा। (ख) भू-गृहादि के अन्दर और उसके बाहर दोनों ही प्रकार से उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र दे0श0-5सी में प्रदान किया जायेगा। (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट /शीशे की बोतलों/टेट्रापैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/आसवक की होगी।	3. फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस का व्यवस्थापन (क) इस नियमावली के उपबन्धों और निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अध्यधीन, देशी शराब की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का लाइसेंस नियम-10 के अनुसार चयनित आवेदक के पक्ष में स्वीकृत कर, इसे व्यवस्थित अथवा पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा। (ख) भू-गृहादि के अन्दर और उसके बाहर दोनों ही प्रकार से उपभोग के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र दे0श0-5सी में प्रदान किया जायेगा। (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 और सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत किसी अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों/नियमों/ निर्देशों के अनुसार दुकानों पर मदिरा का उपभोग किये जाने के बाद खाली हुये पात्रों के निस्तारण का दायित्व दुकान के लाइसेंसधारी/ विक्रेता /आसवक का होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(घ) ऐसी देशी शराब की फुटकर दुकानों जिनके 3 कि.मी. की परिधि में कोई कम्पोजिट शॉप अथवा मॉडल शॉप न हो, को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अध्यक्षीन बीयर की फुटकर बिक्री करने की अनुमति, लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन करने पर प्रदान की जा सकेगी। ऐसी देशी मदिरा दुकानों पर बीयर की बिक्री अनुमन्य किये जाने पर लाइसेंसधारी को प्रारूप सी.एल.-5 सी.सी. में लाइसेंस प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जिला में सी.एल.-5सीसी लाइसेंस हेतु अर्ह देशी मदिरा दुकानों की सूची प्रकाशित करते हुये इच्छुक देशी मदिरा लाइसेंसधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसी दुकानों पर बीयर की बिक्री के संबंध में न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व(एम.जी.आर.) नियत किया जायेगा । यह न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जिला में प्रति कम्पोजिट दुकान बीयर के एक विशिष्ट प्रतिशत के रूप विनिर्दिष्ट किया जायेगा। इसे एम.जी.आर. (सी.एल.-बीयर) कहा जायेगा जो जिला में अतिरिक्त रूप से अधिरोपित किया जायेगा। बीयर की बिक्री की अनुमन्यता हेतु ऐसी दुकानों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस, जो राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से आगणित होगी, ली जायेगी। सी.एल.-5सी.सी. दुकानों पर बीयर का उपभोग अनुमन्य होगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा। सी.एल.-5सीसी दुकानों हेतु नियत बीयर की बिक्री से संबंधित लाइसेंस फीस और एम.जी.आर. (सी.एल.बीयर) का लेखा प्रत्येक स्तर पर रखा जाना अनिवार्य होगा। सी.एल.-5सीसी दुकानों हेतु बीयर की बिक्री से संबंधित लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति भी नियमानुसार अतिरिक्त रूप से जमा करायी जायेगी। देशी मदिरा हेतु प्रतिभूति की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

4. नियम-6 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. लाइसेंस की स्वीकृति इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन०एस०सी०) अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी स्वामित्व सम्पत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।	6. लाइसेंस की स्वीकृति सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा एवं इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। बेसिक लाइसेंस फीस अधिमानतः राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ई-पेमेन्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा की जायेगी और प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित रीति से जमा की जायेगी। सी.एल.-5सीसी लाइसेंस प्रदान करने के पूर्व सी.एल.-5सी लाइसेंसधारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार आगणित बीयर की बिक्री हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह सी.एल.-5सी लाइसेंस के संबंध में उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में, आवश्यक मूल्य का ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति अथवा किसी अन्य जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

5. नियम-7 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये आवेदन (क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार-पत्रों, जिनके उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे।	7. लाइसेंस स्वीकृति के लिये आवेदन (क) जब कभी किसी नवसृजित अथवा अव्यवस्थित दुकान का व्यवस्थापन आवश्यक हो, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, उस दुकान/दुकानों का दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो और जिले की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार कराया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा अवधारित रीति से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एन०आई०सी० द्वारा विकसित किये गये शाप मास्टर पर अपलोड की जायेगी और इसके साथ ही साथ दुकानवार बेसिक लाइसेंस फीस, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि की सूची को कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी। (ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र (दो) पैनकार्ड (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (चार) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र (पाँच) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर संदेय मूल्य संबंधित करधमाल और सेवा कर का भुगतान आनलाइन किया जायेगा। (घ) आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक, किसी समाचार पत्र और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।	(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची, जिनके लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित हो , की सूची दुकानवार बेसिक लाइसेंस फीस, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और प्रभार के उप आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी। (ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में अथवा वेबसाइट पर अधिसूचित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार विहित रीति से जमा किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के सापेक्ष आवेदक द्वारा अप्रतिदेय प्रसंस्करण फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर से आनलाइन किया जायेगा। (घ) आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक, किसी समाचार पत्रों एवं संबंधित जिले की वेबसाइट में जारी किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।

6. नियम-8 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें - फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदक को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी अर्थात्:- (क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा। भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंसधारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) नामनिर्दिष्टी के अनुसार उल्लिखित विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस धारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे। परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।	8. आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें- फुटकर देशी शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदकों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्- (क) आवेदक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो भारत का नागरिक हो। भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंसधारण करने हेतु पात्र नहीं होंगे। दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार उल्लिखित विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस धारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे। परन्तु यह कि यदि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, तो वह लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्ति यों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जीवित व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। (ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो। (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो। (गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी। (घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-	(ख) आवेदक, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो। (ग) आवेदक व्यतिक्रमी न हो अथवा उसका नाम काली सूची में न डाला गया हो, या अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जायेगा/रहेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो; (गग) आवेदक एक दुकान के लिए मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। एक ही आवेदक का एक दुकान पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। (घ) आवेदक , निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है। (दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है। (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस का संदाय करने पर प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटो युक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा।	(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है। (दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है; (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया है; (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा/करेगी कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है। (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा/करेगी, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी, जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के उपरान्त प्राधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा/करेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि यह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जाये।	(आठ) यह कि यह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह उपरिवर्णित गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जाये।
(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।	(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) निकाल दिया गया।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग, इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं किया है।	(ग्यारह) निकाल दिया गया।
	(बारह) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अपात्र होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान पश्चात् आवेदक को वापस कर दिया जायेगा। (झ) आवेदक ऋणशोधनक्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधनक्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के 1/6 भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	(ड) निकाल दिया गया। (च) यह कि आवेदक वैध ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/ प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग से कम नहीं होना चाहिये;

7. नियम-10 का संशोधन-- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-लाइसेंसधारी का चयन (1) (क) किसी दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन ई-लाटरी, ई-नवीनीकरण तथा ई-टेण्डर की तीन प्रक्रियाओं में से किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट हो।	10-लाइसेंसधारी का चयन (क) (1) किसी दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन ई-लाटरी, ई-नवीनीकरण तथा ई-टेण्डर की तीन प्रक्रियाओं में से किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट हो।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष हेतु नवीकरण विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का दुकानवार चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा/एवं ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा ई-नवीकरण विनिर्दिष्ट किया जाता है किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा नवीनीकरण का अनुरोध नहीं किया जाता है अथवा लाइसेंसधारी नवीकरण हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पूर्वोक्त ई-लाटरी अथवा/एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त ग्राह्य एवं अग्राह्य आवेदनों की सूची, अग्राह्यता के कारणों को वर्णित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु नियम-9 में यथाउल्लिखित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (ग) यदि दुकान का नवीकरण कर दिया गया हो, की स्थिति में और नवीनीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा उक्त लाइसेंस के संचालन हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो नवीकरण हेतु जमा धनराशि, प्रासेसिंग फीस को छोड़कर विधिक वारिस के पक्ष में प्रतिदाय कर दी जायेगी। (2) ई-लाटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से दुकानवार लाइसेंसधारी का चयन नियम-2(1)(झ) में यथा परिभाषित प्रत्येक श्रेणी में अधिक्रम के अनुसार देशी शराब की दुकान, माडल शाप, कम्पोजिट शाप और भांग की दुकान श्रेणियों के अनुक्रम कम्प्युटर आधारित यादृच्छि विन्यास के माध्यम से किया जायेगा।	परन्तु यह कि अधिनियम की धारा-36-क के अधीन किसी लाइसेंसधारी को लाइसेंस के नवीकरण का अधिकार नहीं होगा। (2) राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष हेतु नवीकरण विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का दुकानवार चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा/एवं ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा ई-नवीकरण विनिर्दिष्ट किया जाता है किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा नवीनीकरण का अनुरोध नहीं किया जाता है अथवा लाइसेंसधारी नवीकरण हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पूर्वोक्त ई-लाटरी अथवा/एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त ग्राह्य एवं अग्राह्य आवेदनों की सूची, अग्राह्यता के कारणों को वर्णित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु नियम-9 में यथाउल्लिखित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (3) यदि दुकान का नवीकरण कर दिया गया हो, की स्थिति में और नवीनीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा उक्त लाइसेंस के संचालन हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो नवीकरण हेतु जमा धनराशि, प्रासेसिंग फीस को छोड़कर विधिक वारिस के पक्ष में प्रतिदाय कर दी जायेगी। (ख) ई-लाटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से दुकानवार लाइसेंसधारी का चयन नियम-2(1)(ड) में यथा परिभाषित प्रत्येक श्रेणी में अधिक्रम के अनुसार देशी शराब की दुकान, माडल शाप, कम्पोजिट शाप और भांग की दुकान श्रेणियों के अनुक्रम कम्प्युटर आधारित यादृच्छि विन्यास के माध्यम से किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) यदि लाइसेंसधारी का चयन ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाता है तो टेण्डर/आफर आमंत्रित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी। (4) संपूर्ण राज्य में किसी भी व्यक्ति के सभी श्रेणी की देशी शराब की दुकान, माडल शाप, कम्पोजिट शाप एवं भांग दुकानों सहित दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी। परन्तु यह कि नवीनीकरण/नामांतरण के मामलों में पूर्वाक्त निर्बंधन विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी के पक्ष में लागू नहीं होगा। परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में संपूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने अथवा दो या दो से अधिक दुकानें पूर्व से व्यवस्थित होने की स्थिति में, वह ई-लाटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से अतिरिक्त दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा। (5) ई-लाटरी अथवा ई-नवीकरण अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति को बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समयसारिणी एवं रीति के अनुसार जमा करना, तथा समस्त अन्य विनिर्दिष्ट औपचारिकतायें पूरी करना तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपयुक्त दुकान परिसर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन/लाइसेंस को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठायेगा। (6) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए यथा स्थिति ई-लाटरी, ई-नवीकरण अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।	(ग) यदि लाइसेंसधारी का चयन ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाता है तो टेण्डर/आफर आमंत्रित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी। (घ) संपूर्ण राज्य में किसी भी व्यक्ति के सभी श्रेणी की देशी शराब की दुकान, माडल शाप, कम्पोजिट शाप एवं भांग दुकानों सहित दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी। परन्तु यह कि नवीनीकरण/नामांतरण के मामलों में पूर्वाक्त निर्बंधन विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी के पक्ष में लागू नहीं होगा। परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में संपूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने अथवा दो या दो से अधिक दुकानें पूर्व से व्यवस्थित होने की स्थिति में, वह ई-लाटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से अतिरिक्त दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा/होगी। (ङ) ई-लाटरी अथवा ई-नवीकरण अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति को बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समयसारिणी एवं रीति के अनुसार जमा करना, तथा समस्त अन्य विनिर्दिष्ट औपचारिकतायें पूरी करना तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपयुक्त दुकान परिसर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन/लाइसेंस को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठायेगा। (च) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए यथा स्थिति ई-लाटरी, ई-नवीकरण अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

8. नियम-11 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन अथवा 15 अप्रैल, जो भी बाद में हो, के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते, दुकानों की जियो टैगिंग, दुकानवार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, प्रतिभूति धनराशि और बेसिक लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।	11. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण जिला आबकारी अधिकारी दुकान/दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात आबकारी आयुक्त द्वारा विहित अवधि में व्यवस्थित की गयी दुकान/दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा और लाइसेंसधारियों के नाम और पते, दुकानों की जियो टैग स्थिति, प्रतिभूति धनराशि, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस एवं बेसिक लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पर अपलोड करेगा।

9. नियम-12 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
12-बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें।	12-बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक का चयन नियम-10 के अनुसार लाइसेंसधारी के रूप में किया जाता है, तो वह अपने चयन के दिनांक से तीन कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि अनिवार्यतः जमा करेगा/करेगी। उसे प्रतिभूति धनराशि एवं अन्य देयकों का भी भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समयावधि एवं रीति के अनुसार किस्तों में करना होगा :

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह कि यदि प्रतिभूति नियत अवधि के भीतर नहीं जमा करने पर रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से जुर्माना अधिरोपित होगा। प्रतिभूति जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि के साथ शास्ति अनुज्ञेय होगी और यदि इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है तो दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा। आवेदक द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी। परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर आधारभूत लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जायेगा; परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा आधारभूत लाइसेंस फीस के साथ ही साथ प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व आधारभूत लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	परन्तु यह कि यदि प्रतिभूति धनराशि विहित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु विहित अवधि के अतिरिक्त मात्र 15 अतिरिक्त कार्य दिवस की अवधि अनुमन्य होगी : परन्तु यह और कि यदि आवेदक विहित समयावधि के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा और समस्त जमा धनराशियों को समपहत कर लिया जायेगा। परन्तु यह भी कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) अथवा सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

10-नियम-13 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. शराब का उठान (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी देशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क, फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् जनपद के किसी थोक लाइसेंसधारी से देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा। लाइसेंसधारी मांग पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व जिले में उस थोक लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है। (ख) किसी जिला में एक से अधिक थोक लाइसेंसधारी होने की दशा में राज्य-सरकार द्वारा किसी एक थोक लाइसेंसधारी से उठान की सीमा तय की जा सकती है।	13. शराब/बीयर का उठान (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी देशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, अधिमानतः किसी ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क, फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् जनपद के किसी थोक लाइसेंसधारी से देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा/करेगी। लाइसेंसधारी मांग पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व जिले में उस थोक लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है। सी.एल.-5सी.सी. लाइसेंसधारी को अपनी दुकान हेतु यथा विहित मासिक/ त्रैमासिक एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) के सापेक्ष समायोजन हेतु जिला के किसी एफ.एल.- 2बी थोक लाइसेंसधारी से बीयर की आपूर्ति, बीयर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, अधिमानतः किसी ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क, फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारी मांग पत्र, कम से कम 72 घंटे पूर्व जिला के उस थोक लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करेगा/करेगी जिससे वह बीयर की आपूर्ति चाहता है। (ख) किसी जिला में एक से अधिक थोक लाइसेंसधारी होने की दशा में राज्य-सरकार द्वारा किसी एक थोक लाइसेंसधारी से उठान की सीमा तय की जा सकती है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ग) देशी मदिरा फुटकर दुकानों द्वारा किसी एक आसवनी के समस्त ब्राण्डों (समस्त सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 में उत्पादित) की मदिरा की निकासी अपने एम.जी.क्यू के ऐसे अधिकतम प्रतिशत तक जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय तक ही ली जायेगी। मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठान के उपरांत अधिक ली गयी निकासी पर यह उपबंध लागू नहीं होगा। इस उपबंध का पालन न करने पर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा तक की निकासी में अनियमित रूप से ली गयी निकासी की मात्रा पर राज्य सरकार द्वारा विहित दर से शुल्क लाइसेंसधारी द्वारा जमा किया जायेगा। (घ) (एक) यदि सी.एल.-5सी.सी. लाइसेंसधारी किसी माह/त्रैमास में दुकान हेतु बीयर के विहित मासिक/त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य संबंधित थोक लाइसेंस से आवश्यक बीयर की निकासी लेने में विफल रहता है तो उसे सम्बन्धित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के रूप में जिला आबकारी अधिकारी को 10 दिवस के अंदर जमा करना होगा, जिसका पालन न करने पर लाइसेंस निरस्त कर दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टॉक भी जब्त कर लिया जायेगा: परन्तु यह कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा और मदिरा उठाने में विलम्ब हेतु विहित प्रशमन शुल्क सहित विलम्ब मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गत माह/त्रैमास के बकाया राजस्व और चालू माह के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी लिया जाना अनुमन्य होगा;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(दो) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति की सावधि जमा रसीद, अगले माह के मासिक/त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह/त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् अन्य कोई बकाया शेष न रहने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अविलम्ब वापस कर दी जायेगी; (तीन) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माहों की मासिक/त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी; यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति, राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो;

11-नियम-16 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
16. अधिकतम फुटकर मूल्य देशी शराब की बोतलों और पात्रों के लेबिलों पर राज्य सरकार की सहमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा। अधिकतम फुटकर मूल्य एम)0आर0पी0) से अधिक मूल्य प्रभारित किये जाने की दशा में वह नियम-21 के अधीन दण्डनीय होगा।	16. अधिकतम फुटकर मूल्य (1) देशी शराब के एसेप्टिक ब्रिक पैक के लेबिलों पर तथा बीयर की बोतलों/कैनों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा नियत अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी, लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं पर प्रभारित नहीं करेगा। अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य प्रभारित किये जाने की दशा में उसके विरुद्ध नियम-21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (2) प्रत्येक दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। (3) मदिरा की बिक्री विभाग द्वारा विहित पी.ओ.एस.

मशीन के माध्यम से की जायेगी।

12-नियम-18 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टॉक का निस्तारण लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी शराब की अवशेष और अविक्रीत मात्रा, की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा, जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 1200 बजे तक की जायेगी। अवशेष स्टॉक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा साथ ही अवशेष स्टॉक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। (2) आबकारी वर्ष की समाप्ति के अंत में फुटकर देशी शराब की दुकानों पर उपलब्ध बचे हुये अतिशेष स्टॉक को अगले उत्तरवर्ती आबकारी वर्ष के 5 अप्रैल तक बेचा जा सकता है, ऐसे विक्रीत स्टॉक को अप्रैल महीने के एमके विरुद्ध समायोजित नहीं कि .क्यू.जी.या जाएगा। तत्पश्चात, अवशेष स्टॉक को प्रभारी उप आबकारी आयुक्त की देखरेख में जिला आबकारी अधिकारी और स्थानीय उप जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी प्रदर्शित करके नष्ट कर दिया जाएगा।	18. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टॉक का निस्तारण (1) लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर लाइसेंसधारी , देशी शराब/यू.पी.एम.एल./बीयर की अविक्रीत पायी गयी मात्रा की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार, एवं पैकेजिंगवार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 12:00 बजे तक करेगा और ऐसे स्टॉक के संबंध में कार्यवाही अथवा निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा। (2) निकाल दिया गया।

13-नियम-20 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
20. दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन (क) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक बेसिक	20. दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन (क) यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है और यदि किसी कारण से दुकान का व्यवस्थापन उपनियम-(ग) के अनुसार कराया जाना शेष हो तब

लाइसेंस फीस और समानुपातिक लाइसेंस फीस (दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल फीस) जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों कि अवधि या नियमित व्यवस्थापन के	लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान का दैनिक व्यवस्थापन, देशी शराब अथवा देशी शराब एवं बीयर की पृथक पृथक दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस का आकलन करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
दिनांक, इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैन्युअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को प्रतिदिन की प्रत्याभूति मात्रा में निहित प्रतिफल फीस की धनराशि की दर से अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा। (ख) निकाल दिया गया। (ग) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र	किया जायेगा। यह व्यवस्थापन दुकानों के लिये ई-टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा ऑफर आमंत्रित कर (दुकान की विहित देयताओं के बराबर आधार मूल्य रखते हुए) उच्चतम ऑफर के आधार पर एक बार में अधिकतम 14 दिनों के लिये या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, तक के लिये किया जायेगा। लगातार 2 बार ऑफर मांगने की प्रक्रिया में भी यदि विहित देयताओं के समतुल्य आफर प्राप्त नहीं होता है तब तीसरे चरण में राजस्वहित में विहित देयताओं से कम के आफर भी स्वीकार किये जाने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को होगा। किसी भी स्थिति में विहित देयताओं के 80 प्रतिशत से कम के आफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैन्युअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। (ख) निकाल दिया गया। (ग) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामलों में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन, नियम-10

सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आयुक्त कार्यालय को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	के अधीन, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से टेण्डर/ऑफर मांगने की राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया लागू की जायेगी। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार की जायेगी।
---	--

14-नियम-21 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
21-लाइसेंस का निलम्बन/ निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ-	21-लाइसेंस का निलम्बन/ निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ-
(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेन्स को निलम्बित या निरस्त कर सकता है-	(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है-
(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी शराब की कोई बोतल/टेट्रा पैक या पात्र पाया जाय, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा नहीं किया गया हो।	(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी शराब की कोई बोतल/टेट्रा पैक या पात्र पाया जाय, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा नहीं किया गया हो।
(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि की बोतल या पात्र (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) की बोतल या पात्र जाये जाते हैं।	(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि की बोतल या पात्र (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) की बोतल या पात्र पाये जाते हैं।
(ग) अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।	(ग) अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।
(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।	(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।
(ङ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम में लाइसेंस धारण किये हुये है।	(ङ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम में लाइसेंस धारण किये हुये है।

(च) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है। (छ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।	(च) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है। (छ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 482 से 489 अथवा भारतीय न्याय संहिता 2023 की समतुल्य धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ज) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिंक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है। (झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण/ या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी। (2) पूर्वोक्त स्थितियों में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा। परन्तु यह कि पूर्वोक्त नियम-21(1) के उप	(ज) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिंक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है। (झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण/ या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी। (2) पूर्वोक्त स्थितियों में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा। परन्तु यह कि पूर्वोक्त नियम-21(1) के उप

प्रस्तर (च) में यथा उल्लिखित सुसंगत विषयों से संबंधित लाइसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया, नियम-14 के अनुसार निष्पादित की जायेगी।

- (3) लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार न होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

प्रस्तर (च) में यथा उल्लिखित सुसंगत विषयों से संबंधित लाइसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया, नियम-14 के अनुसार निष्पादित की जायेगी।

- (3) लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार न होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (4) फुटकर लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन के प्रकरणों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा:-

क्र० सं०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (₹0 में)	द्वितीय बार (₹0 में)	तृतीय बार (₹0 में)
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	10,000	15,000	20,000
5	बेतलों और पौट्यों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना।	10,000	15,000	20,000
6	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
7	ड्यूटी पेड स्टॉक को	20,000	25,000	30,000

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (4) फुटकर लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन के प्रकरणों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा:-

क्र० सं०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (₹0 में)	द्वितीय बार (₹0 में)	तृतीय बार (₹0 में)
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	10,000	15,000	20,000
5	बेतलों और पौट्यों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना।	10,000	15,000	20,000
6	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000

	अनधिकृत परिसर /गोदाम में संचित करना।				7	इयूटी पेड स्टॉक को अनधिकृत परिसर /गोदाम में संचित करना।	20,000	25,000	30,000
8	लेखानुसार मात्रा से अधिक इयूटी पेड स्टॉक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000	8	लेखानुसार मात्रा से अधिक इयूटी पेड स्टॉक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
9	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना	5,000	10,000	15,000	9	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना	5,000	10,000	15,000
10	मद्य निषेध, दिवसों /बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना ।	30,000	40,000	50,000	10	मद्य निषेध, दिवसों /बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना ।	30,000	40,000	50,000
11	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000	11	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
12	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	75,000	1,50,000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही	12	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	75,000	1,50,000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
13	लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना	5,000	10,000	20,000	13	लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना	5,000	10,000	20,000

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

14	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000	14	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
15	किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर (सद्भावी कारणों से) पाया जाना।	25000	50000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही	15	किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर पाया जाना।	25000	50000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
16	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 15 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000	16	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 15 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

15. प्रपत्र सी.एल. 5 ग और सी.एल.-5सी(1) का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र सी.एल. 5 ग और सी.एल.-5सी(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सी.एल.-5 ग (नवीकरण हेतु)	सी.एल.-5 सी.
भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए

मुहरबन्द कोंच/पेट बोतलों/ असेप्टिक ब्रिक पैक में “25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत(मसाला)” संद्रता युक्त (सुवासित) देशी शराब व “36 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत (मसाला)” संद्रता युक्त यू0पी0एम0एल0 की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो दुकान का अक्षांश/ देशान्तर लाइसेंस संख्या वर्ष दुकान का नाम जिला बेसिक लाइसेंस फीस रूपया (अंकों में) (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र	मुहरबन्द असेप्टिक ब्रिक पैक में राज्य सरकार द्वारा विहित तीव्रताओं, धारताओं एवं गुणवत्ता की देशी शराब एवं यू.पी.एम.एल. की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस लाइसेंसधारी का फोटो दुकान का फोटो दुकान का अक्षांश/ देशान्तर लाइसेंस संख्या वर्ष दुकान का नाम (शाप आई.डी.) जिला बेसिक लाइसेंस फीस रूपया (अंकों में) (शब्दों में)
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया (अंकों में) (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रु0 (अंकों में) (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) उत्तर दक्षिण: पूरब पश्चिम: लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1).....पुत्र.....निवासी..... (2).....पुत्र.....निवासी..... आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धारिता	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया (अंकों में) (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रु0 (अंकों में) (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) उत्तर दक्षिण: पूरब पश्चिम: लाइसेंसधारी का नाम और पता श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त जिनके द्वारा जिला के अन्तर्गत

की मुहरबंद सील पेट की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत (मसाला) संद्रता युक्त (सुवासित) देशी शराब व 36 प्रतिशत एवं 42.8 प्रतिशत(मसाला) संद्रता युक्त यू0पी0एम0एल0 की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला के अन्तर्गत के स्थान, पुलिस थाना तहसील के लिए दिनांक से 31 मार्च 20 तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्वारा निर्गत किया जाता है। यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।	स्थान, पुलिस थाना तहसील पर राज्य सरकार द्वारा विहित तीव्रताओं, धारिताओं एवं गुणवत्ता की देशी शराब एवं यू.पी.एम.एल. की फुटकर बिक्री के दिनांक से 31 मार्च 20 तक के लाइसेंस के लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, को एतद्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाता है। यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति समपहृत कर ली जायेगी।
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
निबन्धन एवं शर्तें - नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी0एल0-2 के गोदाम से करेगा। - नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी। - देशी शराब(यू.पी.एम.एल.) की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1 सेंटीमीटर के स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में तीव्रता एवं अधिकतम	निबन्धन एवं शर्तें - नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क एवं अन्य शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक लाइसेंस सी0एल0-2 के गोदाम से करेगा/ करेगी । - नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार, लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त, माह के अन्तिम दिनांक तक जमा करनी होगी। - देशी शराब/यू.पी.एम.एल.) के असेप्टिक ब्रिक पैक के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1 सेंटीमीटर के स्पष्ट

फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।	दृश्यमान बोल्ड फांट में अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा/करेगी।
4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में देशी स्प्रिट/यू.पी.एम.एल. की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट/यू.पी.एम.एल. नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के पश्चात् खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा असेप्टिक ब्रिक पैक एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी।	4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द असेप्टिक ब्रिक पैक में देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. की बिक्री उसी दुकान से होगी। परिसर के एक भाग को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के पश्चात् खाली हुई असेप्टिक ब्रिक पैक के निस्तारण की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी एवं आसवक की होगी।
5. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब/यू.पी.एम.एल.की बिक्री मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं असेप्टिक ब्रिक पैक में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चरुपा हो।	5. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. की बिक्री मुहरबन्द असेप्टिक ब्रिक पैक में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चरुपा हो।
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।	6. लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और वह उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर भी डाटा अपलोड प्रेषित करेगा/करेगी और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा/करेगी। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा/करेगी और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा/करायेगी।
7. देशी शराब/यू.पी.एम.एल की बिक्री को छोड़कर जिसके	7. देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. की बिक्री को छोड़कर जिसके

लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा। 9. लाइसेंसधारी देशी शराब/यू.पी.एम.एल के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोटलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पीओएस(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।	लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य कारबार चलाने की अनुमति नहीं होगी। 8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा। 9. लाइसेंसधारी देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा/करेगी। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोटलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी.ओ.एस. (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा और इसी यंत्र के माध्यम से माल की बिक्री करेगा/करेगी ।
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन	10. लाइसेंसधारी, दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रारूप एवं आकार में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन

बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- " >दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।" 11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर उपलब्ध करा सकेगा। 12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।	बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- " >दुकान के बाहर या सार्वजनिक स्थान पर शराब का उपभोग वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।" 11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न पके हुये खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करा सकेगा। 12. लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विहित सीमा से अधिक देशी शराब/यू.पी.एम.एल नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली	13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा विहित सीमा से अधिक देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. नहीं बेंचेगा जब तक कि इस प्रकार की अनुज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि और नियमों के अधीन

के नियम-28 (3)के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।	क्रेता को न प्रदान की गयी हो।
14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।	14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या अधिकारी जो वर्दी में हो।
15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब/यू.पी.एम.एल भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।	17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब/ यू.पी.एम.एल. भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।	18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई, जिसमें नालियों आदि की सफाई भी सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।
19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।	19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के विहित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।	20. लाइसेंसधारी/विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए	21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए

खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है। 22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा। 23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा। 24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार नियत फीस के संदाय के पश्चात् विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा। दिनांक जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है। 22. लाइसेंसधारी, लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा/करेगी, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा। 23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा/करेगी । 24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार नियत फीस के संदाय के पश्चात् विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा। 25. लाइसेंसधारी द्वारा दुकान के अन्दर तथा दुकान के बाहर का दृश्य कैपचर एवं संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से दो सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जायेगा। 26. लाइसेंसधारी द्वारा मदिरा की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से की जायेगी। 27. लाइसेंसधारी द्वारा मदिरा की दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट के विकल्प की सुविधा अनिवार्य रूप से रखनी होगी। दिनांक जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम देशी शराब- 5 सी (1) (नवीन लाइसेंस हेतु)	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द कोंच/पेट बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में “25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत(मसाला)”संद्रता युक्त(सुवासित) देशी शराब व “36 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत (मसाला)” संद्रता युक्त यू0पी0एम0एल0 की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर

.....

लाइसेंस संख्या वर्ष
.....

दुकान का नाम जिला

बेसिक लाइसेंस फीस रूपया (अंकों में)
..... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत
वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया
..... (अंकों में). (शब्दों में) मासिक
न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क लीटर
में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस
फीस की मासिक किस्त रू0 (अंकों में)
..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के
साथ)

उत्तर दक्षिण:

पूरब पश्चिम:

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1) पुत्र निवासी

(2) पुत्र निवासी

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा असेप्टिक ब्रिक पैक में 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत (मसाला) संद्रता युक्त(सुवासित) देशी शराब व 36 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत(मसाला) संद्रता युक्त यू0पी0एम0एल0 की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला के अन्तर्गत स्थान, पुलिस थाना तहसील के लिए दिनांक से 31 मार्च 20 तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्वारा निर्गत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 यथासंशोधित) के नियम-21 में यथा वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।

निबन्धन एवं शर्तें

- 1.नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी0एल0-2 के गोदाम से करेगा।
- 2.नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. देशी शराब/यू.पी.एम.एल.की पेट/शीशे की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1 सेंटीमीटर के स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा। 4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द दोनों पेट/शीशे की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट/ यू.पी.एम.एल.नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा असेप्टिक ब्रिक पैक एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी/ आसवक की होगी । 5. विहित तीव्रता और धारिता की देशी शराब/ यू.पी.एम. एल.की बिक्री मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं असेप्टिक ब्रिक पैक में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। 6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा। 7. देशी शराब/यू.पी.एम.एल की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने	

की अनुमति नहीं दी जायेगी।	
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा। 9. लाइसेंसधारी देशी शराब/यू.पी.एम.एल के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोटलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा। 10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- " >दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।	

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।“	
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर उपलब्ध करा सकेगा। 12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा। 13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विहित सीमा से अधिक देशी शराब/यू.पी.एम.एल नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड (1995 संस्करण) के अधीन देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व अभिरक्षा से सम्बंधित की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा न प्रदान की गई हो। 14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो। 15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है। 16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई	

अपायकर सामग्री नहीं रखेगा। 17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब/यू.पी.एम.एल भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।	
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा। 19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा। 20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा। 21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। छूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है। 22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा। 23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा। 24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी	

तदनुसार विहित फीस के संदाय के पश्चात विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा। दिनांक जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	
---	--

15. प्रपत्र सी0एल0 5सी.सी. का जोड़ा जाना--उक्त नियमावली में प्रपत्र सी.एल. 5 ग के पश्चात स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र सी.एल.-5सी.सी. जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:-

सी.एल.- 5सी.सी.

(सी.एल.-5सी लाइसेंस के साथ पठित)

सी.एल.-5सी लाइसेंस प्राप्त परिसर में भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों एवं कैनों में राज्य सरकार द्वारा विहित तीव्रताओं, धारिताओं एवं गुणवत्ता की बीयर की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

लाइसेंसधारी का फोटो

दुकान का फोटो

सी.एल.-5सी लाइसेंस की संख्या

सी.एल.-5सी की बेसिक लाइसेंस फीस

सी.एल.-5सी की वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

सी.एल.- 5सी की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

दुकान का अक्षांश/ देशान्तर

सी.एल.-5सी.सी. लाइसेंस संख्या वर्ष

सी.एल.-5सी.सी.की वार्षिक लाइसेंस फीस

सी.एल.-5सी.सी. की लाइसेंस की अवधि से 31 मार्च तक

सी.एल.-5सी.सी.लाइसेंस की देय लाइसेंस फीस

सी.एल.-5सी.सी. का वार्षिक एम.जी.आर.-सी. एल. -बीयर;

दुकान का नाम जिला

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)

उत्तर दक्षिण:

पूरब पश्चिम:

लाइसेंसधारी का नाम और पता

श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी
जो सी.एल.-5सी प्रपत्र में पूर्व से ही उक्त परिसर हेतु लाइसेंस प्राप्त हैं, को उक्त लाइसेंस के परिसर हेतु ही भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों एवं कैनों में राज्य सरकार द्वारा विहित तीव्रताओं, धारिताओं एवं गुणवत्ता की बीयर तथा राज्य सरकार द्वारा विहित तीव्रताओं, धारिताओं एवं गुणवत्ता की देशी शराब एवं यू.पी.एम.एल. की फुटकर बिक्री की फुटकर बिक्री के लिए सी.एल.-5सी. लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। देशी मदिरा और यू.पी.एम.एल. की बिक्री के संबंध में इन्हें निर्गत सी.एल.-5सी लाइसेंस के समस्त निर्बंधन एवं संगत नियमावली के सुसंगत उपबंध लागू होंगे।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपूत कर ली जायेगी।

बीयर की बिक्री के संबंध में निबन्धन एवं शर्तें

1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क एवं अन्य कर अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् बीयर का उठान थोक अनुज्ञापन एफ.एल.-2बी के गोदाम से करेगा/करेगी।
2. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को एम.जी.आर.-सीएल-बीयर की मासिक/ त्रैमासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी अथवा इसका समायोजन समतुल्य राजस्व के बीयर की निकासी से कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. बीयर की बोटलों/कैनों के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1 सेंटीमीटर के स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों एवं कैनों में बीयर की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए खुली बीयर नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के पश्चात् खाली हुई बोटलों/कैनों/पात्रों के निस्तारण की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।
5. विहित तीव्रता और मात्रा की बीयर की बिक्री मुहरबन्द बोटलों/कैनों में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और वह उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर भी सूचना प्रेषित/अपलोड करेगा/करेगी और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा/करेगी। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा/करायेगी।

7. देशी शराब/यू.पी.एम.एल./बीयर की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य कारबार चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।

9. लाइसेंसधारी देशी शराब/यू.पी.एम.एल./बीयर के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा/करेगी। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोटलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0 एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा और इसी यंत्र के माध्यम से बिक्री करेगा/करेगी।
10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

" > दुकान के बाहर या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"

11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।
12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा/करेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा विहित सीमा से अधिक देशी शराब/ यू.पी. एम.एल./बीयर नहीं बेचेगा जब तक कि इस प्रकार की अनुज्ञा सुसंगत विधि/नियमों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा क्रेता को न प्रदान की गयी हो।
14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या अधिकारी जो वर्दी में हो।
15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब/ यू.पी.एम.एल./बीयर भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई, जिसमें नालियों आदि की सफाई भी सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।
19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
22. लाइसेंसधारी लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा/करेगी, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा/करेगी ।
24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा/ करेगी । जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार नियत फीस के संदाय के पश्चात् विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
25. लाइसेंसधारी द्वारा दुकान के अन्दर तथा दुकान के बाहर का दृश्य कैपचर एवं संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से दो सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किया जायेगा।
26. लाइसेंसधारी द्वारा मदिरा की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जायेगी।
27. लाइसेंसधारी द्वारा मदिरा की दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा अनिवार्य रूप से रखनी होगी।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,
डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 2043/X-License-59/Country Liquour/2025-26

Prayagraj, Dated : January 21, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Notification no. 27091/X- Licenes-59/2002-2003, dated March 14, 2002:

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF COUNTRY LIQUOR) (NINETEENTH AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor)(**Nineteenth** Amendment) Rules, **2025**.

2. Amendment of rule-2— In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002 (hereinafter referred to as the "said rules") for the existing rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
2. Definitions (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time. (b) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of five rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee; (c) "Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by	2. Definitions (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time; (b) "Additional Consideration fee" means the difference amount obtained as a result of rounding off the calculated retail price of country liquor/UPML to the next multiple of five rupees, which shall be payable by the licensee in the manner as prescribed by Excise Commissioner before supply of the country liquor/UPML from wholesale license but this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee; (c) "Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by

the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year; (d) "Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time:	the licensee to be lifted by him/her for his/her retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year; (d) "Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time:
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
Provided that if settlement is done in midsession the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity. (e) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor; (f) "Country Liquor" includes liquor of 25 percent (perfumed) , 36 percent (spiced) manufactured from Extra Neutral Alcohol(ENA)and 36 percent and 42.8 percent(spiced) U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time; (g) "Daily Basic License Fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government; (h) "Daily Minimum Guaranteed Quantity" shall	Provided that if settlement is done in midsession the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity; (e) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor; (f) "Country Liquor" means country spirit manufactured from molasses extra neutral alcohol or from grain extra neutral alcohol having such alcoholic strength and quality as may be fixed by the State Government from time to time; (g) "Daily Basic License Fee" means 1/365th part of the fixed annual basic license fee of the shop; (h) "Daily Minimum Guaranteed Quantity"

be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity; (i) Omitted (j) "Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year; (k) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents; (l) "Form" means a form appended to these Rules; (m) "Hierarchy" means the descending order of the basic license fee of shops purported to be the basis for the shop allotment through the process of computer based randomization in e-lottery for selection of licensee;	means 1/365th part of fixed annual minimum guaranteed quantity for the shop; (i) "Omitted"; (j) "Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year; (k) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents; (l) "Form" means a form appended to these rules; (m) "Hierarchy" means the descending order of the basic license fee of shops purported to be the basis for the shop allotment through the process of computer based randomization in e-lottery for selection of licensee;
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(n) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years; (o) "Licensing Authority" means the Collector of the District; (p) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop: Provided that if settlement is done in midsession it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity. (q) "Monthly Instalments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the	(n) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years; (o) "Licensing Authority" means the Collector of the District; (p) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop, the rate of which shall be decided by the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in midsession it will be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of the remaining period; (q) "Monthly Instalments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly instalments of the licence fee subject

monthly instalments of the licence fee subject to the provisions of these rules; (r) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"- shall be the quantity obtain from apportioning Annual Minimum Guaranteed quantity into twelve equal parts; (s) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	to the provisions of these rules; (r) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" or monthly MGQ means the 1/12th part of Annual Minimum Guaranteed quantity; (s) "MGR(CL-Beer)" means the minimum revenue as fixed for the excise year by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner, which shall be required to be deposited by the licensee holding CL-5CC license into the treasury on monthly/quarterly basis, as may be prescribed and which shall be permissible to be adjusted against the revenue involved in lifting of beer (except wine and L.A.B.) from the wholesale licence by the licensee for retail sale of beer at his/her shop;
Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(t) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided, in case of renewal security deposited earlier through prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) or Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded; (u) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	(t) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed formats related to the processes of manufacture of liquor upto the terminal stage of its distribution; (u) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding the basic license fee, to be deposited through an e-bank guarantee pledged in favour of the District Excise Officer or through any other instrument or in any other manner as prescribed by the Excise Commissioner, which will be refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government; Provided that in case of renewal security deposited earlier through cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) or

(v) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license; (w) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" means country spirit (spiced) manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.	Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded; (v) "Settlement" means allotment of shops (through e-renewal, e-lottery, or e-tender as may be specified by the State Government), in favour of the applicant and grant of licence for the entire excise year or a part thereof on completion of other formalities. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of the preceding financial year; (w) "Solvency "means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(x) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" means country spirit manufactured from grain extra neutral alcohol having such alcoholic strength and quality as may be fixed by the State Government from time to time. (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-3— In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
3. Settlement of licenses for retail sale (a) Subject to the provisions of these rules and subject to the payment of basic licence fee and security amount of the retail shop for sale of country liquor licenses shall be settled or re-settled by fixed fee system or by inviting offer as specified herein.	3. Settlement of licenses for retail sale (a) Subject to the provisions of these Rules and on payment of the requisite basic license fee and security amount, a retail shop for the sale of country liquor shall be settled or resettled by granting the license in favour of the applicant selected as per rule 10.

(b) The licence shall be granted in the Form C.L.5-C for retail sale of country liquor in sealed bottles or such containers as approved by the Excise Commissioner from time to time for consumption both “On” and “Off” the premises. (c) Licensee/salesman/distiller shall be responsible for disposing these empty pet/glass bottles/tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.	(b) The licence shall be granted a license in Form C.L.5-C for the retail sale of country liquor in such containers as approved by the Excise Commissioner from time to time for consumption both “On” and “Off” the premises. (c) Licensee/salesman/distiller shall be responsible for the disposal of empty containers at the shop after consumption of liquor as per the Solid Waste Management Rules, 2016 and as per any guidelines/ rules/directions issued by a Competent Authority or any Competent Court from time to time.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
	(d) Permission to sell beer in retail shops of country liquor which do not have any composite shop or model shop within a 3 km radius, can be granted on application by the licensee subject to fulfilment of the terms and conditions as may be specified by the State Government from time to time. If sale of beer is allowed at such country liquor shops, the licensee will be granted a license in form CL-5CC. For the said purpose, the licensing authority shall publish a list of country liquor shops eligible for CL-5CC licenses in the district and applications from interested country liquor licensees shall be invited. Minimum Guaranteed Annual Revenue (MGR) will be fixed in relation to the sale of beer at such shops. This minimum guaranteed annual revenue will be specified by the State Government from time to time as a specific percentage of the average minimum guaranteed annual revenue of beer per composite shop in the district. This will be

	called as MGR (CL-Beer) which will be imposed additionally in the district. Additional license fee calculated as prescribed by the State Government, will be realized from such shops for permission to sell beer. Consumption of beer will be allowed at CL-5CC shops for which no additional fee will be charged. It will be mandatory to maintain the account of MGR (CL-Beer) and License Fee pertaining to sale of beer fixed for CL-5CC shops at every level. Security equivalent to 10 percent of the License Fee pertaining to sale of Beer for CL-5CC shops will also be deposited additionally as per rules. The security provisions for country liquor will remain the same.
--	---

4. **Amendment of rule-6**—In the said rules, for existing rule 6 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
6. Grant of Licence The licence shall be issued on payment of basic licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules: Provided that in case of renewal security deposited earlier through in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) or Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.	6. Grant of Licence The license will be issued on payment of basic license fee and security amount within the time frame as specified by the Government from time to time and as per the provisions of these rules. The basic license fees shall be deposited preferably through an e-payment platform specified by the State Government and the security amount shall be deposited in the manner prescribed by the Excise Commissioner. Before the grant of CL-5CC license, it will be mandatory for the CL-5C licensee to deposit the calculated license fee and security amount for the sale of beer as per the procedure determined by the State Government. It will be mandatory for the licensee to submit the original solvency certificate of the requisite value or the property certificate in relation to the CL-5C license, issued by the authorized income tax valuer or a copy certified by any other Excise

Officer in the office of the District Excise Officer of that district from where he has been granted the license.

5- Amendment of rule-7—In the said rules, for existing rule 7 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
7. Application for grant of licence (a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality the licensing authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspaper having circulation in that area and website of the District as well as website of the Excise Department (www.upexciseportal.in)	7. Application for grant of licence (1) Whenever settlement of any newly created or unsettled shop is necessary, the licensing authority shall give wide publicity of that shop/shops in daily newspapers which are in circulation in that area as well as the website of the district and shall invite applications in the manner determined by the State Government.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(b) A list of the retail shops of country liquor for which the Collector proposes to grant license shall be exhibited along-with shopwise basic license fee, annual minimum guaranteed quantity, license fee security amount and the earnest money at the Collector's office, Tehsil Offices and the Officers of the District Excise Officer as well as the Deputy Excise Commissioner of the Charge. This information shall also be displayed on the website of the Excise Department (www.upexciseportal.in) along with the website of each District. (c) Application for grant of license shall be submitted online as per the time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to. upload a photocopy of (i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) PAN Card, (iii) Photocopy of	(2) A list of retail shops of country liquor, whose licenses are proposed to be granted by the Collector, shall be displayed shop-wise along with the basic license fee, minimum annual guaranteed quantity, license fees and security amount in the Collector's office, Tehsil office, and offices of the District Excise Officer and Deputy Excise Commissioner in charge. This information shall also be displayed on the website of the district. (3) Applications for the grant of license shall be submitted in the prescribed manner as per the time schedule given in the advertisement notified in the newspapers or website. A non-refundable processing fee shall be paid online by the applicant for each

Income tax return of the preceding year (iv) Affidavit in the prescribed format (v) Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the District of the concerned shop. Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same. (d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in the advertisement in the newspapers and the website of Excise Department (www.upexciseportal.in)	application at the rate fixed by the State Government from time to time. (4) The last date to be fixed for the receipt of applications shall not be earlier than such number of days as stipulated, in the advertisement in the newspapers and the website of concerned districts.
---	--

6. Amendment of rule-8—In the said rules, for existing rule 8 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
8. Eligibility conditions for applicants- Eligible applicants for license of a retail country liquor shop must fulfill the following conditions namely- (a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any and who is a citizen of India, shall also be allowed. No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned as nominee in the nomination	8. Eligibility conditions for applicants The applicants for the licence of retail country liquor shops shall have to fulfil the following conditions to ensure their eligibility, namely: - (a) The applicant must be a person who is a citizen of India. No partnership firm or company shall be eligible for the grant of a retail licence. Likewise, Wholesalers or Distillers/Manufacturers of liquor shall also not be eligible for holding a licence of any type of retail shop. No change in the status of the applicant shall be allowed after allotment of the shop. In case of death of the licensee, the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned in the nomination

affidavit (if any) given by licensee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license: Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license: Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction shall be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:	affidavit (if any) submitted by the licensee shall be considered as per the priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license: Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application. (c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license. (cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible for applying and their mutual consent shall be essential for renewal. (d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely- (i) that he possesses or has an arrangement for	(b) The applicant must be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application. (c) Applicant should not be a defaulter or blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any Court of law unless fully and finally acquitted shall be debarred from holding the license. (cc) The applicant shall be eligible to make only one application for any one shop. If more than one application of an applicant for a single shop is received, the additional applications shall be cancelled. (d) The applicant shall submit an affidavit duly verified by a public notary as proof of the following:-

taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time. (ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules. (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background not have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.	(i) that he/she possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time; (ii) that the shop proposed by him/her has not been constructed in violation of any law or rules; (iii) that he/she and his/her family members possess good moral character, have no criminal background and have not been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license. (v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.	(iv) that in case he/she is selected as licensee he/she will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning police Commissionerate of which he/she is resident, showing that he/she as well as his/her family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license; (v) that he/she shall not employ any salesperson or representative who has a criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his/her authorized salesperson/representative from the District Excise Officer on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time;

(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues. (vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority. (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled. (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.	(vi) that he/she is not in arrear of any public dues or Government dues; (vii) that he/she is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority; (viii) that the applicant is not involved in mafia activities, anti-social activities or organized criminal activities. If after issuance of the license it is proved that he/she is involved in any of the above-mentioned activities then the allotted licence shall be cancelled; (ix) that the applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he/she is found to be a registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled ;
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(x) that In case of selection as licensee, bank draft of earnest money, which has been uploaded online along with application, shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection. (xi) that he has not made use of the earnest money bank draft for application of any other shop in the same phase. (e) that he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of concerned shop of the district for fixed earnest money along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be	(x) Omitted; (xi) Omitted; (xii) An employee of the Central Government or any State Government shall also be ineligible to apply for grant of a license. (e) Omitted.

necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty-eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

- (f) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or property certificate issued by Income Tax valuer shall be not less than the equivalent amount of 1/6 part of sum of basic license fee and license fee determined for the grant of licence of the shop applied in the district.

Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

- (f) The applicant should be a holder of a valid Solvency Certificate or a Property Ownership Certificate issued by an authorised Income Tax Valuer and the value of his/her Solvency Certificate/Property Ownership Certificate issued by an authorised Income Tax Valuer should not be less than 1/6th of the amount of the total of basic licence fee and licence fee fixed for grant of licence of the applied shop in the district.**

7. Amendment of rule-10—In the said rules, for existing rule 10 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
10- Selection of licensee (a) (i) The license for a shop shall be selected from amongst the three processes of E-Lottery, E-Renewal and E-Tender whichever is/are prescribed by the State Government for that particular year. (ii) In case E-renewal is not prescribed by the State Government for a particular year, the shop wise selection of licensee shall be made through the process prescribed by the State Government through E-lottery or/and E-tender by inviting online applications. If E-renewal is prescribed by the State Government but	10- Selection of license (a) (i) The licensee for a shop shall be selected from amongst the three processes of E-Lottery, E-Renewal and E-Tender whichever is/are specified by the State Government for that particular year: Provided that there shall be no right to a licensee for renewal of license under section-36-A of the Act; (ii) In case E-renewal is not specified by the State Government for a particular year, the shop wise selection of licensee shall be made through the process prescribed by the State Government through E-lottery or/and E-tender by inviting online applications. If E-renewal is specified by the State Government

renewal is not requested by the licensee or licensee has been found ineligible for renewal, then in such case also the aforementioned process of E-lottery or/and E-tender will be adopted. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare a list of all admissible and inadmissible applications, describing the reasons of inadmissibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing as mentioned in rule-9 of these rules for e-lottery and e-tender. (iii) If the shop has been renewed and if the licensee dies after depositing the renewal fee and none of his legal heirs or nominees apply for the operation of the said license or if the legal heir/ nominee are not found eligible for the purpose, the amount deposited for renewal except processing fee, shall be refunded in favor of the legal heir.	but renewal is not requested by the licensee or licensee has been found ineligible for renewal, then in such case also the aforementioned process of E-lottery or/and E-tender will be adopted. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare a list of all admissible and inadmissible applications, describing the reasons of inadmissibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing as mentioned in rule-9 of these rules for e-lottery and e-tender; (iii) If the shop has been renewed and if the licensee dies after depositing the renewal fee and none of his/her legal heirs or nominees apply for the operation of the said license or if the legal heir/ nominee are not found eligible for the purpose, the amount deposited for renewal except processing fee, shall be refunded in favor of the legal heir;
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(b) In case of e-lottery the shop wise licensee shall be selected from amongst the eligible applicants through computer based randomization process in sequence of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops categories as per the heirarchy in each category as has been defined in rule-2(1)(m). (c) In case the selection of licensee is done through E-Tender, the process of inviting tender/offer shall be prescribed by the State Government. (d) Not more than two shops including all categories of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops shall be allotted to any person in the entire State. Provided that in case of renewal aforesaid restriction shall not apply in matters of renewal/mutation in favour of legal	(b) In case of e-lottery the shop wise licensee shall be selected from amongst the eligible applicants through computer based randomization process in sequence of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops categories as per the hierarchy in each category as has been defined in rule-2(1)(m). (c) In case the selection of licensee is done through E-Tender, the process of inviting tender/offer shall be specified by the State Government. (d) Not more than two shops including all categories of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops shall be allotted to any person in the entire State: Provided that in case of renewal aforesaid restriction shall not apply in matters of renewal/mutation in favour of legal

heir/family member/close relative. Provided further that in case two or more shops are renewed or already settled in the State in favour of an applicant, he/she shall not be eligible for further allotment of shops through E-Lottery/E-Tender. (e) It shall be mandatory for the person selected as licensee through E-Lottery or E-Renewal or E-Tender to deposit basic license fee and security in the time schedule and in the manner prescribed by the State Government and, complete all other prescribed formalities and make arrangement for appropriate shop premises within the prescribed time period . In case the person selected as licensee does not comply with the above, the Licensing Authority shall cancel the allotment/license and shall take necessary steps for the resettlement of the shop as prescribed by the State Government.	heir/family member/close relative. Provided further that in case two or more shops are renewed or already settled in the State in favour of an applicant, he/she shall not be eligible for further allotment of shops through E-Lottery/E-Tender. (e) It shall be mandatory for the person selected as licensee through E-Lottery or E-Renewal or E-Tender to deposit basic license fee and security in the time schedule and in the manner prescribed by the State Government and, complete all other prescribed formalities and make arrangement for appropriate shop premises within the prescribed time period . In case the person selected as licensee does not comply with the above, the Licensing Authority shall cancel the allotment/license and shall take necessary steps for the resettlement of the shop as prescribed by the State Government.
Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(f) In case there is no application for a particular shop in E-Lottery or E-renewal or E-tender process as the case may be, or no candidate is found suitable for the shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.	(f) In case there is no application for a particular shop in E-Lottery or E-renewal or E-tender process as the case may be, or no candidate is found suitable for the shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as specified by the State Government.

8. Amendment of rule-11—In the said rules, for existing rule 11 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
11. Statement of Settled shops A Statement of the settled shops along with names and addresses of the licensees, geo-tagging of shops, shop-wise annual minimum guaranteed quantity, details of security amount and basic license fee deposited shall be sent by the District Excise Officer to the Excise Commissioner within 15 days of the	11. Statement of Settled shops After the settlement of the shop/shops, the District Excise Officer shall send the details of the shop/shops settled within the period prescribed by the Excise Commissioner to the Excise Commissioner and shall upload the details of the names and addresses of the licensees, geo-tagged

settlement or by 15th April, whichever is later, and the details of same shall be entered into the prescribed register besides being uploaded on the website of the Excise Department (www.upexcise.in)

locations of the shops, security amount, minimum annual guaranteed quantity, license fees and the amount deposited as basic license fee on the prescribed portal of the Excise Department.

9. Amendment of rule-12—In the said rules, for existing rule 12 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
12. Payment of Basic License fee & Security amount In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of basic license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection.	12. Payment of Basic License fee & Security amount If an applicant is selected as a licensee as per rule 10, he/she shall compulsorily deposit the entire amount of basic license fee within three working days from the date of his/her selection. He/she shall also deposit the Security deposit and other dues in installments and as per the time frame specified by the State Government from time to time:
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
Provided that if the security is not deposited within the stipulated period, a fine of Rs 2000/- per day shall be imposed. Only a period of 15 days along with penalty will be allowed for depositing the security and if the security is not deposited even in this additional period, the allotment of the shop shall be cancelled and the shop shall be resettled forthwith. Entire amount of basic license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) or Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded. In subsequent year, the licence of the shop	Provided that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day shall be imposed. Only 15 additional working days over and above the prescribed time period shall be allowed for depositing the security amount along with the penalty: Provided further that if the applicant fails to deposit the basic license fee or security amount within the prescribed time period, his/her selection shall be cancelled by the licensing authority and all the deposited amounts shall be forfeited:

may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter of consumption as fixed by the State Government. Difference amount of basic license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.

Provided, if he fails to deposit the amount of basic license fee and security amount within prescribed period, his licence shall stand cancelled;

Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and basic license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and basic licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

Provided also that in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) or Term Deposit Receipt or Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded.

10. Amendment of rule-13—In the said rules, for existing rule 13 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
13. Lifting of liquor (a) The licensee under these rules shall obtain supplies of country liquor from any wholesale licence of the District after making full payment of cost price of country liquor including all taxes, duties, fees (including additional consideration fee) and cess as levied from time to time preferably through e-payment platform. The licensee shall place indent at-least seventy-two hours in advance to the wholesale licensee in the District from whom he intends to procure the supply of country liquor.	13. Lifting of liquor/beer (a) The licensee under these rules shall obtain supplies of country liquor from any wholesale licence of the District after making full payment of cost price of country liquor including all taxes, duties, fees (including additional consideration fee) and cess as levied from time to time preferably through an e-payment platform. The licensee shall place an indent at least seventy-two hours in advance to the wholesale licensee in the District from whom he intends to procure the supply of country liquor. It shall be compulsory for the CL-5CC licensee to obtain the supply of beer from any FL-2B wholesale licensee of the district for adjustment against the monthly/quarterly MGR(CL-Beer) as prescribed for his/her shop, after making full payment of cost price of beer including all taxes, duties, fees (including additional

(b) In case of more than one wholesale licensee in any district the State Government may fix the limit of lifting from any one wholesale licensee.	consideration fee) and cess as may be levied from time to time preferably through an e-payment platform. The licensee shall place an indent at least seventy-two hours in advance to the wholesale licensee in the District from whom he intends to procure the supply of beer. (b) In case of more than one wholesale licensee in any district the State Government may fix the limit of lifting from any one wholesale licensee. (c) The country liquor retail shops will lift liquor of all brands (produced in all CLB-1 and CLB-2 units) of any one distillery subject to a maximum percentage of monthly MGQ as may be specified by the State Government from time to time. This provision will not be applicable on lifting in excess of the monthly MGQ. In case of non-compliance with this provision, the fee at the rate prescribed by the State Government will be deposited by the licensee on the quantum of irregular lifting done by him/her.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
	(d) (i) If the CL-5CC licensee fails to lift from the respective wholesale licence the required quantity of beer equivalent to the prescribed monthly/quarterly minimum guaranteed revenue of beer for the shop in any month/quarter, he/she shall have to deposit additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month/quarter in the form of a pledged fixed deposit receipt to the District Excise Officer within 10 days, failing which the licence shall be cancelled and action for re-settlement of the shop shall be taken and the process of recovery of outstanding revenue shall be initiated as per rules. The unsold stock at the shop shall also be seized: Provided that in case of depositing additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month/quarter within time, and after condonement with the prescribed compounding action for delay in the lifting of liquor, the licensee shall be allowed to

	lift equivalent to the outstanding revenue of the previous month/quarter and the minimum guaranteed revenue of the current month; (ii) The fixed deposit receipt of the additional security so deposited shall be returned immediately by the District Excise Officer in case there is no balance remaining after lifting of liquor equivalent to the monthly/quarterly minimum guaranteed revenue of the next month along with the shortfall in the previous month/quarter; (iii) If the licensee fails to lift liquor equivalent to the monthly/quarterly minimum guaranteed revenue for one or more months before the end of the financial year, then the additional security and security deposited by him/her shall be adjusted against such shortfall in revenue and the remaining security shall be returned; If the additional security and security deposited is insufficient to adjust the shortfall in revenue, then the remaining revenue shall be recovered as if it is arrears of land revenue.
--	---

11. Amendment of rule-16—In the said rules, for existing rule 16 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
16. Maximum Retail Price The maximum retail price as fixed by Excise Commissioner on sanction of the State Government, shall be printed on the labels of the bottles of the containers of country liquor. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on labels of bottles. In case of charging price above the maximum retail price he shall be liable to punishment under rule 21.	16. Maximum Retail Price (1) The maximum retail sale price as fixed by the Excise Commissioner with the permission of the State Government shall be mentioned on the labels of aseptic brick packs of country liquor and on bottles/cans of beer. The licensee shall not charge consumers more than the price mentioned on the labels. In case a price higher than the maximum retail sale price is charged, action shall be taken against him/her as per rule 21. (2) Every shop shall have the facility of digital payment. (3) Sale of liquor shall be done through POS devices as prescribed by the Department.

12. Amendment of rule-18—In the said rules, for existing rule 18 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I	Column-II
-----------------	------------------

<i>(Existing rule)</i>	<i>(Rule as hereby substituted)</i>
18. Disposal of Balance Stock left at the expiry of the license (1) Any balance of country liquor quantity found outstanding and unsold at the expiry of the term of license shall be declared by the licensee brand wise, volume-wise, intensity wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day by 12 pm. Separate register shall be maintained for balance stock. Moreover, the balance stock shall be uploaded on portal by the District Excise Officer. (2) The remaining balance stock available on retail country liquor shops at the end of cessation of Excise year may be sold by the 5th April of the next succeeding Exice year, such sold stock shall not be adjusted against the M.G.Q. of the month April. Thereafter, the remainder stock shall be destroyed under the supervision of the Deputy Excise Commissioner of the charge by a joint committee of the District Excise Officer and the local Sub Divisional Magistrate displaying videography.	18. Disposal of Balance Stock left at the expiry of the license (1) On the expiry of the licence period the licensee shall declare the quantity of country liquor/U.P.M.L./Beer found unsold, brand-wise, capacity-wise, intensity-wise and packaging-wise, before the District Excise Officer by 12:00 noon on the next day and such stock shall be dealt with or disposed of in the manner as prescribed by the State Government. (2) Omitted.

13. Amendment of rule-20—In the said rules, for existing rule 20 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
20. Interim Settlement of shop (a) In case a license is suspended cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily basic license fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government, and proportionate license fee (consideration fee and additional consideration fee involved in daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for	20. Interim Settlement of shop (a) If the license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules and if for any reason the shop is yet to be settled as per sub-rule (c), then the licensing authority may, after assessing the daily basic license fee/license fee of country liquor or country liquor and beer separately, settle the shop on daily basis in the manner as prescribed by the State Government. This will be done by inviting offers (keeping the base value equal to the prescribed liabilities of the shop) similar to the process of inviting e-tenders for shops and based on the highest offer, the shop shall be settled for a

one shop, settlement shall be done through the manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit refundable/ adjustable security amount equivalent to the duty involved in daily minimum guaranteed quantity for the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority ,but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner

maximum period of 14 days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. If even after inviting offers twice in a row, an offer equal to the prescribed liabilities is not received, then in the third stage, the licensing authority will have the right to accept offers less than the prescribed liabilities in the interest of revenue. In no case will offers be accepted for less than 80 percent of the prescribed liabilities. If two or more similar offers are received for a shop, then the settlement will be done through a public manual lottery. Such licensee will also be required to deposit security money for the period of interim settlement as per the rate of daily license fee. Such settlement of a shop can be done more than twice by the licensing authority, but in such a situation it will be mandatory to inform the Excise Commissioner.

Column-I
(Existing rule)

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(b) Omitted

(b) Omitted.

(c) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to headquarter.

(c) In case of cancellation or surrender of a license as per the provisions of these rules, regular settlement of the shop in mid-session will be done by the licensing authority as per rule 10 of these rules as soon as possible by giving public advertisement through the e-tender process. The procedure prescribed by the State Government for inviting tenders/ offers through e-tender process will be implemented. Single tender will also be accepted in the e-tender process for the shops to be settled in mid-session.

14. Amendment of rule-21–In the said rules, for existing rule 21 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I
(Existing rule)

Column-II
(Rule as hereby substituted)

21. Suspension/Cancellation and Compounding

21. Suspension/Cancellation and Compounding

of the license and penalties	of the license and penalties
(1) Licensing Authority may suspend or cancel the license:- (a) If any bottle/tetra pack or container of country liquor is found in the licensed premises on which duty has not been paid and which does not carry Security Code affixed duly approved by the Excise Department as proof of payment of duty. (b) If any bottle or container of any other kind of liquor or intoxicating drug (for which licence is not granted) is found in the licensed premises. (c) If any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the licensee against the provisions of the Act or the Rules. (d) If the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and the assertions made therein are found to be false. (e) If it is found that the licence has been obtained in a false name or the licensee is holding the licence on behalf of some other person.	(1) The Licensing Authority may suspend or cancel the license:- (a) If any bottle/tetra pack or container of country liquor is found in the licensed premises on which duty has not been paid and which does not carry Security Code affixed duly approved by the Excise Department as proof of payment of duty. (b) If any bottle or container of any other kind of liquor or intoxicating drug (for which licence is not granted) is found in the licensed premises. (c) If any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the licensee against the provisions of the Act or the Rules. (d) If the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and the assertions made therein are found to be false. (e) If it is found that the licence has been obtained in a false name or the licensee is holding the licence on behalf of some other person.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(f) If the licensee fails to deposit monthly installment of license fee or replenish the deficit in security amount within prescribed period. (g) If the licensee is convicted of an offence punishable under the Act or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or of any offence punishable under Sections 482 to 489 of the Indian Penal Code, 1860. (h) If any caramel, colour, essence, hologram/shrink sleeve or bar code, label, capsule, seal or other illegal material found in the licensed premises. (i) If any adulteration with water or with any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found	(f) If the licensee fails to deposit monthly installment of license fee or replenish the deficit in security amount within prescribed period. (g) If the licensee is convicted of an offence punishable under the Act or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or of any offence punishable under sections 482 to 489 of the Indian Penal Code, 1860 or of equivalent sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. (h) If any caramel, colour, essence, hologram/shrink sleeve or bar code, label, capsule, seal or other illegal material found in the licensed premises. (i) If any adulteration with water or with any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found

in the licensed premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) In the aforesaid conditions-

The licensing authority shall immediately suspend the licence, and issue a show cause notice for cancellation of licence and forfeiture of security deposit. The licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of the notice. Thereafter the Licensing Authority shall pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee:

Provided that the procedure of suspension and cancellation of license related to relevant matter as adduced in the sub paragraph (f) of the aforesaid rule 21(1) shall be executed in accordance with the rule 14.

(3) In case the licence is cancelled the basic licence fee, license fee and security amount deposited by him shall stand forfeited in favour of the Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise license.

in the licensed premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) **In the aforesaid situation, the licensing authority** shall immediately suspend the licence, and issue a show cause notice for cancellation of licence and forfeiture of security deposit. The licensee shall submit **his/her** explanation within 7 days of the receipt of the notice. Thereafter the Licensing Authority shall pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee:

Provided that the procedure of suspension and cancellation of license related to relevant matter as adduced in the sub paragraph (f) of the aforesaid rule 21(1) shall be executed in accordance with the rule 14.

(3) In case the licence is cancelled the basic licence fee, license fee and security amount deposited by him shall stand forfeited in favour of the Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise license.

Column-I

(Existing rule)

(4) Matter of compoundable breaches pertaining on retail licenses such as below shall be imposed with minimum compounding fee:

Sr. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Shop found opened before or after the stipulated time.	2,500	3,000	5,000
2	Unauthorized sales man found to be making sale.	5,000	7,000	10,000
3	Stock register not produced when asked for.	10,000	15,000	20,000
4	Stock register found incomplete.	10,000	15,000	20,000

Column-II

(Rule as hereby substituted)

(4) Matter of compoundable breaches pertaining on retail licenses such as below shall be imposed with minimum compounding fee:

Sr. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Shop found opened before or after the stipulated time.	2,500	3,000	5,000
2	Unauthorized sales man found to be making sale.	5,000	7,000	10,000
3	Stock register not produced when asked for.	10,000	15,000	20,000
4	Stock register found incomplete.	10,000	15,000	20,000

5	Tempering with bottles and quarters or their labels or bar code, pilfer proof cap or seals .	10,000	15,000	20,000
6	Found having recourse to inducement to the customer with a view to increasing sales such as dancing or gambling.	5,000	7,000	10,000
7	To store duty paid stock in unauthorized premises/ware house.	20,000	25,000	30,000
8	Duty paid stock being found in excess of account.	25,000	30,000	50,000
9	Found selling of loose liquor.	10,000	15,000	20,000
10	Found making sale of liquor during days of prohibition and closure.	30,000	40,000	50,000

Column-I
(Existing rule)

5	Tempering with bottles and quarters or their labels or bar code, pilfer proof cap or seals .	10,000	15,000	20,000
6	Found having recourse to inducement to the customer with a view to increasing sales such as dancing or gambling.	5,000	7,000	10,000
7	To store duty paid stock in unauthorized premises/ware house.	20,000	25,000	30,000
8	Duty paid stock being found in excess of account.	25,000	30,000	50,000
9	Found selling of loose liquor.	10,000	15,000	20,000
10	Found making sale of liquor during days of prohibition and closure.	30,000	40,000	50,000

Column-II
(Rule as hereby substituted)

11	Any alteration in the premises without permission.	30,000	40,000	50,000
12	Found selling of liquor above the prescribed MRP.	75,000	1,50,000	Proceeding of cancellation of licence
13	Non displaying of essential information according to rule or displaying faulty information on the signboard installed outside the premises.	5,000	10,000	20,000
14	On being found no proper arrangement of cleanliness in the shop.	2,000	5,000	10,000
15	If liquor issued to	2000	5000	10000

11	Any alteration in the premises without permission.	30,000	40,000	50,000
12	Found selling of liquor above the prescribed MRP.	75,000	1,50,000	Proceeding of cancellation of licence
13	Non displaying of essential information according to rule or displaying faulty information on the signboard installed outside the premises.	5,000	10,000	20,000
14	On being found no proper arrangement of cleanliness in the shop.	2,000	5,000	10,000

	any one particular shop is found in another shop (due to bonafide reasons)				15	If liquor issued to any one particular shop is found in another shop	2000	5000	10000
16	Any other irregularity, which is not mentioned under serial-01 to 15.	2000	5000	10000	16	Any other irregularity, which is not mentioned under serial 01 to 15.	2000	5000	10000

15. Amendment of Form CL- 5C and Form C.L.5C(1)– In the said rules, for existing Forms CL-5C and C.L.5C (1) set out in Column-I below, the Form as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
C.L.5-C (For renewal purpose) License for the Retail Sale of Country Liquor (perfumed) containing strength of 25 % v/v and 36% v/v(spiced) sealed in Glass/Pet Bottles/ Aseptic Brick as well as U.P. Made Liquor (U.P.M.L.) (spiced) containing strength of 36% v/v and 42.8 % v/v in sealed Glass/Aseptic Brick Packs for Consumption "On" and "Off" the premises.	C.L.5 C License for retail sale of country liquor and U.P.M.L. of the strengths, contents and quality prescribed by the State Government in sealed aseptic brick packs for consumption on and off the premises

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>					
<table><tr><td>Photo of applicant</td><td>Photo of co-applicant</td></tr></table> <table><tr><td>Photo of shop</td></tr></table> Latitude/longitude of shop License No year Name of Shop District Basic License fee Rs (in figures) (in words) Annual Minimum Guaranteed Quantity bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v) License fee Rs (in figures) (in words) Monthly Minimum Guaranteed	Photo of applicant	Photo of co-applicant	Photo of shop	<table><tr><td>Photo of licensee</td><td>Photo of shop</td></tr></table> Latitude/Longitude of the shop Licence No Year Name of the shop District Basic licence fee Rs (in figures) (in words) Annual minimum guaranteed quantity in bulk litres (as 36% v/v strong country liquor) Licence fee Rs (in figures) (in words) Monthly minimum guaranteed quantity	Photo of licensee	Photo of shop
Photo of applicant	Photo of co-applicant					
Photo of shop						
Photo of licensee	Photo of shop					

Quantity bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v) Monthly installment of license fee Rs. (in figures).....in words) Description of premises (with boundaries) North.....South..... East.....West..... Name, Father's Name & Address of Licensee(s) 1.....S/o R/o..... 2.....S/o R/o..... License for the retail sale of Country Liquor (perfumed) containing strength of 25 % v/v and 36% v/v(spiced) sealed in Glass/Pet Bottles/ Aseptic Brick as well as U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)(spiced) containing strength of 36% v/v and 42.8 % v/v in sealed Glass/Aseptic Brick Packs of capacity as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at (place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f. from to March, 31, 20 for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12	 in bulk litres (as 36% v/v strong country liquor) Monthly instalment of licence fee Rs (in figures) (in words) Details of premises (with boundaries) North South: East West: Name and address of the licensee..... Shri/Smt./Miss.....son/daughter/wife of.....resident of..... Shri/Smt./Miss above who has deposited basic license fee and security amount as per Rule-6 and Rule-12 for the license of retail sale of country liquor and U.P.M.L. of strengths, contents and quality prescribed by the State Government from date to 31st March 20 at place, Police Station Tehsil in District, the license is hereby issued.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws. TERMS AND CONDITIONS 1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.	This license is subject to the following terms and conditions, in case of violation of any of these or violation of the provisions mentioned in the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licenses of Country Liquor) Rules, 2002 (as amended) or on being convicted of any offence under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the license of the license holder shall be cancelled and the security deposit shall be forfeited in addition to any penalties imposed under the relevant laws. TERMS AND CONDITIONS 1. As per the provisions of Rule 13, the licensee shall lift the country liquor from the godown of the wholesale license CL-2 after depositing the price and consideration fee and other duties preferably by e-payment.

2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14. 3. Maximum Retail Price and strength shall be printed in visible bold font of 1x1 centimeter on the right top of labels of bottles/ Aseptic Brick Pack of country liquor/(U.P.M.L.). The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price. 4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles / Aseptic Brick for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit/U.P.M.L shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and Aseptic Brick Packs as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.	2. As per the provisions of Rule 14, the licensee shall have to deposit the monthly installment of license fee by the last date of the month. 3. The maximum retail price shall be printed in a clearly visible bold font of 1X1 cm on the right side top on the labels of aseptic brick packs of country liquor/U.P.M.L. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price. 4. The sale of country liquor/U.P.M.L. in sealed aseptic brick packs for consumption on and off the premises, shall be made from the same shop. A portion of the premises shall be kept separate, where only consumption shall be permitted. Country Liquor/ UPML shall also not be served loose for consumption on the premises and as per Solid Waste Management Rules 2016, it shall be the responsibility of the salesman/ licensee of the shop and distiller to dispose of the empty aseptic brick packs after consumption at the shops.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
5. The sales shall be made in sealed pet/glass bottles and Aseptic Brick of country liquor/ U.P.M.L of prescribed strength and capacity carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees. 6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority. 7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor /U.P.M.L for	5. Country Liquor/ UPML of prescribed strength and quantity shall be sold in sealed aseptic brick packs bearing a security code approved by the Excise Department as proof of payment of duty. 6. The licensee shall maintain regular and correct daily accounts in the form and register as prescribed by the licensing authority and shall also send/ upload the data on the prescribed portal of the Uttar Pradesh Excise Department and produce the said account register whenever required by the competent inspecting authority. The licensee shall also submit the account of sales, etc. and shall facilitate and make available material and documents as required. 7. The licensee shall not be permitted to carry on any business in the licensed premises except

which license is granted. 8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days. Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit. 9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor /U.P.M.L in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	sale of country liquor/U.P.M.L. for which the license has been granted. 8. The licensed premises shall remain open for sale from 10 a.m. to 10 p.m. on all days except 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and three such additional days as may be notified by the licensing authority for closure. The licensing authority may also order closure of the shop on account of law and order or activities connected with general election etc. under the relevant laws. No compensation shall be payable for closure of the shop on the above days: Provided that the hours of sale may be altered for a certain period on special occasions as the State Government may deem fit. 9. The licensee shall store the entire stock of country liquor/U.P.M.L. in the licensed premises only. He/She shall keep a POS (Point of Sale) device as specified at the shop for scanning the bottles as per the prescribed security code under the track and trace system and shall sell the goods through this device.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- “>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive.” 11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e.	10. The licensee shall put up a visible signboard at the entrance of the shop in the format and size approved by the Excise Commissioner, bearing the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of the shop and other information as prescribed by the licensing authority in bold letters. Following information shall be required to be displayed:- • Consumption of liquor is prohibited outside the premises of the shop or in public places. Any violation in this regard shall be punishable. • Drunken driving may be fatal. Please do not drive after drinking alcohol. 11. The licensee may provide proper seating arrangements including benches, cots, chairs and tables in sufficient numbers within the

a sufficient number of benches, "takhsats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles. 12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain Naukarnama of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, on payment of fee as prescribed by Government from time to time which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities. 13. The licensee shall not sell to any person more than the prescribed limit of country liquor/U.P.M.L except under permission granted in accordance with the Rule 28(3) of Rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition). 14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform. 15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.	licensed premises. The licensee may provide glasses, water, ice, soda, snacks and cooked food items to the consumer. 12. The licensee shall not employ any person as a salesperson who is below 21 years of age or is suffering from any infectious disease or is having a criminal background or is a woman. The licensee shall obtain Naukarnama having photograph issued by the District Excise Officer for salesperson on payment of fee as prescribed by the Government from time to time and produce the same when demanded by the inspecting authorities. 13. The licensee shall not sell country liquor / U.P.M.L in excess of the limit prescribed by the State Government to any person unless a such a permission has been granted to the purchaser by the licensing authority under relevant laws and rules. 14. Sale shall not be made to any person who is below 21 years of age or to an officer in uniform. 15. It is strictly prohibited for the licensee to tamper with or deface bottles and containers or their labels, security codes, pilfer proof caps or seals under any circumstances.
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material. 17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor/U.P.M.L is stored or kept for sale. 18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected. 19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.	16. The licensee shall not keep any milk, sugar (syrup), colour, fragrance (extract), security code-making machine, labels, capsules, seals or any noxious material in his/her licensed premises. 17. It is strictly prohibited for the licensee or his/her salesman to keep water on the shop floor or at a distance of 5 feet from the place where country liquor/U.P.M.L. is stored for sale. 18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness of the premises including cleaning of drains etc. 19. All kulhads, pattals etc. used within the premises shall be immediately removed and thrown in the empty spaces made for garbage or in the covered dustbins kept for this purpose, which shall be cleaned at least twice during the prescribed hours of sale.

20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family. 21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden. 22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18. 23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time. 24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall accordingly issue Naukarnama in prescribed form after payment of fixed fee. Date..... District..... Licensing Authority	20. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesperson and his/her family. 21. It is strictly prohibited for the licensee to entice or attract buyers to increase his/her sales. Organising gambling or dance programmes is also strictly prohibited. 22. The licensee shall report to the District Excise Officer for disposal of the excess remaining stock on expiry of the licence, which shall be disposed of as per Rule 18. 23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued from time to time by the Excise Commissioner or the Licensing Authority. 24. The licensee shall submit the list of salespersons to the District Excise Officer for the sale of country liquor/UPML at his/her shop. The District Excise Officer shall issue a naukarnama in the prescribed form after payment of the prescribed fee accordingly.
---	--

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
C.L.5 C (1) (For new license) License for the Retail Sale of Country Liquor (perfumed) containing strength of 25 % v/v and	25. The licensee shall compulsorily install two CCTV cameras to ensure that the scene inside the shop and the scene outside the shop is being captured and stored. 26. The licensee shall sell liquor through POS machine. 27. The licensee must compulsorily provide option of digital payment facility at the liquor shop. Date District..... Licensing Authority

36% v/v(spiced) sealed in Glass/Pet Bottles/Aseptic Brick as well as U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)(spiced) containing strength of 36% v/v and 42.8 % v/v in sealed Glass/Aseptic Brick Packs for Consumption "On" and "Off" the premises.

Photo of applicant	Photo of shop
--------------------	---------------

Latitude/longitude of shop

License No year

Name of Shop District

Basic License fee Rs (in figures)
..... (in words)

Annual Minimum Guaranteed Quantity
..... bulk litres

(in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)

License fee Rs (in figures)

(in words) Monthly Minimum Guaranteed Quantity
..... bulk litres

(in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)

Monthly installment of license fee Rs. (in figures) in words)

Description of premises (with boundaries)

North South

East West

Column-I

(Existing rule)

Column-II

(Rule as hereby substituted)

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)

1.....S/o R/o.....

2.....S/o R/o.....

License for the retail sale of Country Liquor (perfumed) containing strength of 25 % v/v and 36% v/v(spiced) sealed in Glass/Pet Bottles/Aseptic Brick as well as U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)(spiced) containing strength of 36% v/v and 42.8 % v/v in sealed Glass/Aseptic Brick Packs of capacity as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at (place) in P.S.
.... Tahsil..... in the District of
w.e.f. from to March,31,20

for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.

The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

TERMS AND CONDITIONS

1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.
2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
3. Maximum Retail Price and strength shall be printed in visible bold font of 1x1 centimeter on the right top of labels of bottles/ Aseptic Brick Pack of country liquor/(U.P.M.L.). The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price. 4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles / Aseptic Brick for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit/U.P.M.L shall not be served loose and licensee/salesman/	

distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and Aseptic Brick Packs as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016. 5. The sales shall be made in sealed pet/glass bottles and Aseptic Brick of country liquor/ U.P.M.L of prescribed strength and capacity carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees. 6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority. 7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor /U.P.M.L for which license is granted.	
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days. Provided that the sale hours may be changed on	

special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.

9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor /U.P.M.L in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.

10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard shall also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

- > Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive.”

Column-I
(Existing rule)

Column-II
(Rule as hereby substituted)

11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.

12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain Naukarnama of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, on payment of fee as prescribed by Government from time to time which shall be produced as

and when demanded by inspecting authorities. 13. The licensee shall not sell to any person more than the prescribed limit of country liquor/U.P.M.L except under permission granted in accordance with the Rule 28(3) of Rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition). 14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform. 15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals. 16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material. 17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor/ U.P.M.L is stored or kept for sale. 18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.	
Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours. 20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family. 21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden. 22. The licensee shall on expiry of the license,	

report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.

23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall accordingly issue Naukarnama in prescribed form after payment of prescribed fees.

Date.....

District.....

Licensing Authority

16. Insertion of Form CL-5CC—In the said rules, after Form CL-5C (as substituted by this amendment), the following Form CL-5CC shall be inserted, namely:—

"CL-5CC

(Read with CL-5C Licence)

Licence for retail sale of beer of strengths, capacities and quality as prescribed by the State Government in sealed bottles and cans for consumption on and off the premises of the CL-5C licensed premises

Photo of licensee	Photo of shop
-------------------	---------------

CL-5C Licence Number

Basic Licence Fee of CL-5C

Annual Minimum Guaranteed Quantity of CL-5C

Monthly Minimum Guaranteed Quantity of CL-5C

Latitude/Longitude of the shop

CL-5CC Licence Number

Year

Annual Licence Fee of CL-5CC

Period of CL-5CC Licence From to 31st March

Licence Fee Payable for CL-5CC Licence

Annual MGR(CL-Beer);

Name of shop District

Details of premises (with boundary)

North South :

East West :

Name and address of the licensee

Shri/Smt./Miss Son/daughter/wife of Resident who is already licensed in CL-5C form in the said premises, is hereby granted license for retail sale of beer of the strengths, contents and quality as prescribed by the State Government and country liquor and U.P.M.L. of the strengths, contents and quality as prescribed by the State Government in sealed bottles and cans for consumption on and off for the premises of the said license. All restrictions of CL-5C license issued to him and relevant provisions of the relevant rules shall apply in respect of sale of country liquor and U.P.M.L. This licence is subject to the following terms and conditions, in case of violation of any of these or violation of the provisions of Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences of Country Liquor) Rules, 2002 (as amended) or conviction for any offence under Uttar Pradesh Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, the licence of the licence holder shall be cancelled and the security deposit shall be forfeited in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

TERMS AND CONDITIONS REGARDING SALE OF BEER

1. As per the provisions of Rule-13, the licensee shall lift the beer from the godown of Wholesale Licence FL-2B after depositing the price and consideration fee and other duties preferably by e-payment.
2. As per the provisions of Rule-13, the licensee shall have to deposit the monthly/quarterly instalment of MGR(CL-Beer) by the last date of the month or it shall be mandatory to get it adjusted against revenue involved in the lifting of beer.
3. The maximum retail price shall be printed in a clearly visible bold font of 1X1 cm on the top right side of the labels of beer bottles/cans. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.
4. The sale of beer in sealed bottles and cans for consumption on and off the premises shall be made from the same counter. A portion of the premises shall be kept separate where only consumption shall be permitted. Loose beer shall also not be served for consumption in the premises and as per Solid Waste Management Rules 2016, the responsibility of disposal of empty bottles/cans/containers after consumption at the shops shall be of the salesperson/licensee of the shop.
5. Beer of prescribed strength and quantity shall be sold in sealed bottles/cans/containers bearing a security code approved by the Excise Department as proof of payment of duty.
6. The licensee shall maintain regular and correct daily accounts in the form and register as prescribed by the licensing authority and shall also send/upload the data on the prescribed portal of the Uttar Pradesh Excise Department and produce the said account register as and when required by the competent inspecting authority. The licensee shall also submit accounts of sales etc. and shall facilitate and make available such material and documents as may be required.
7. The licensee shall not be permitted to carry on any other business in the licensed premises except the sale of country liquor/UPML/Beer for which the license has been granted.
8. The licensed premises shall remain open for sale from 10 am to 10 pm on all days except 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and three such additional days as may be notified by the licensing authority for closure. The licensing authority may also order closure of the shop on account of law and order or activities connected with general election etc. under relevant laws. No compensation shall be payable for closure of the shop on the above days:

Provided that the hours of sale may be altered for a certain period on special occasions as the State Government may deem fit.

9. The licensee shall store the entire stock of country liquor/U.P.M.L./beer only in the licensed premises. He/she shall keep a POS (Point of Sale) device as specified at the shop for scanning the bottles as per the prescribed security code under the track and trace system and shall sell the goods through this device.
10. The licensee shall put up a visible signboard in the form and size approved by the Excise Commissioner at the entrance of the shop, on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of the shop and other information as prescribed by the licensing authority shall be printed in bold letters. The sign board shall display the following information: -
 - "Consumption of liquor is prohibited outside the premises of the shop or in public places. Any violation in this regard shall be punishable.
 - Drinking and driving may be fatal. Please do not drive after drinking alcohol."
11. The licensee may provide proper seating arrangement with sufficient number of benches, cots, chairs and tables within the licensed premises. The licensee may provide glasses, water, ice, soda, snacks and cooked food items to the consumer.
12. The licensee shall not employ any person as a salesperson who is below 21 years of age or is suffering from any infectious disease or is having criminal background or is a woman. The licensee shall obtain a Naukarnama having photograph issued by the District Excise Officer for salesperson on payment of fee as prescribed by the Government from time to time and produce the same when demanded by the inspecting authorities.
13. The licensee shall not sell country liquor / U.P.M.L/Beer in excess of the limit prescribed by the State Government to any person unless such a permission has been granted to the purchaser by the licensing authority under relevant laws and rules.
14. Sale shall not be made to any person who is below 21 years of age or to an officer in uniform.
15. It is strictly prohibited for the licensee to tamper with or deface bottles and containers or their labels, security codes, pilfer-proof caps or seals under any circumstances.
16. The licensee shall not keep any milk, sugar (syrup), colour, perfume (extract), security code-making machine, labels, capsules, seals or any harmful material in his/her licensed premises.
17. It is strictly prohibited for the licensee or his/her vendor to keep water on the shop counter or at a distance of 5 feet from the place where country liquor/U.P.M.L./Beer is stored for sale.
18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness of the premises including cleaning of drains etc.
19. All kulhads, pattals etc. used within the premises shall be immediately removed and thrown in the empty spaces constructed for garbage or in the covered dustbins kept for the purpose, which shall be cleaned at least twice during the prescribed hours of sale.
20. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesperson and his/her family.

21. It is strictly prohibited for the licensee to lure or entice the buyers to increase his/her sales. Organising gambling or dance programmes are also strictly prohibited.
22. The licensee shall report to the District Excise Officer for disposal of the excess remaining stock on expiry of the license period, which shall be disposed of as per Rule-18.
23. The licensee shall follow the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or the Licensing Authority from time to time.
24. The licensee shall submit the list of vendors to the District Excise Officer for selling liquor at his/her shop. The District Excise Officer shall issue a servant certificate in the prescribed form after payment of the prescribed fee accordingly.
25. The licensee shall compulsorily install two CCTV cameras to ensure that the scene inside the shop and the scene outside the shop is being captured and stored.
26. The licensee shall sell liquor through POS machine.
27. The licensee must compulsorily provide option of digital payment facility at the liquor shop.

Date

District.....

Licensing Authority"

By order,
DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.